उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

21/7/15 पत्रावली प्रार्थी शंकरलाल के जमीन बटवारा मिसल दुरुस्ती का आवेदन पेश होने पर प्रस्तुत हुई प्रार्थी/वादी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है वाद चलाना नहीं चाहते है। Not Pressed में खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी/वादी की पहचान वकील वादी श्री RP बाजिया द्वारा की गयी अतः प्रार्थी/वादी के निवेदन पर वाद वादी खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है मिसल जोनल कुमार हेतु नकल के कर दो।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

not Pressed

शंकर लाल

Ue बाबूलाल